

वादा गया पञ्जावली वारंते अपाप डिगम
28-7-22 को घेथ ह्ये
3

28-7-22 पञ्जावली घेथ ह्ये उमग्रपक्ष आर्धवमा उपरि-धर
वास्ते जवाप दास सम्प-पक्ष भया
पञ्जावली वारंते जवक 16-8-22 को घेथ
ह्ये
3

5-8-22

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र घेथ कर निवेदन किया
कि वादी का एक दाद न्यायालय में रजिस्टर
है. उक्त दाद में 'आगामी तारीख' वेथी 16-8-22
को नियत है. प्रार्थी (वादी) व अप्रार्थी (प्रतिवादी)
पिता-पुत्र होने से अपरस्त्री सहयति से
रजिनामा ले गया है. पञ्जावली को आज ही
तस्वीर कर. वादी व प्रतिवादीगण मह्य मुआ
रजिनामा प्रस्तुत ही जिसको ही तस्वीर
किया जाकर प्रकरण का निष्ठाथा किया
जावे.

वादी.

राजेश जी

34

34

राजेश जी
(सहयति)

प्रतिवादी
श्रीशक्ति

अपार्षित

Manchester

London

A

आर्थिक इकाई
(24.5)

पञ्जावली तमब होकर घेथ ह्ये वादी
व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत रजिनामा से
वादी की पहचान. वादी के आर्धवमा द्वारा भी
गर्भ प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादीगणके
आर्धवमा द्वारा भी गर्भ पक्षकारों द्वारा सहयति
के दक्षिण रजिनामा व पञ्जावली पर न्यायालय
द्वारा 'उपस्थित' होकर किये गये. पक्षकारों
द्वारा प्रस्तुत रजिनामा तस्वीर किया जात ही
रजिनामानुसार आर्धव डिक्ली गरी है प्रस्तुत रजिनामा
निर्णयका भाग रहेगा. पञ्जावली केतम थुमार होकर परिपक्ष
प्रस्तुत ही. **अपार्षित अधिकारी**
कावेरी (दुबई)

अपार्षित अधिकारी
कावेरी (दुबई)

FD डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

1. अज अदालतउपखण्ड अधिकारी..... मुकाम.....लाखेरी.....व
इजलास.....श्री युगांतर शर्मा (आर. ए. एस.).....

1. राजेन्द्र पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी देईखेडा बनाम 1. गोपाल आ० मोडू जाति मीणा निवासी देईखेडा तहसील
तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज०। इन्द्रगढ जिला बून्दी राज०।
2. हरिश आ० गोपाल जाति मीणा निवासी देईखेडा तहसील
इन्द्रगढ जिला बून्दी राज०।
3. मीनाक्षी पुत्री गोपाल जाति मीणा निवासी देईखेडा तहसील
इन्द्रगढ जिला बून्दी राज०।
4. राजस्थान राज्य जर्जे तहसीलदार महोदय, इन्द्रगढ जिला
बून्दी राज०।

मुकदमा नम्बर.....64/दावा/2022..... सन.....यह
मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू.....हमरे.....
.....व हाजिरी

दावा बाबत 88,89,53 आर० टी० एक्ट.....

1. श्री घनश्याम सैनी एडवोकेट(वादी)एडवोकेट.....मिनजानिब मुद्दइ.....श्री आरिफ अली एडवोकेट.....
.....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि
विवादित आराजी खसरा संख्या 10 रकबा 2.60 हैक्ट० वाके ग्राम चकमालिकपुरा पटवार मण्डल धरावन तहसील इन्द्रगढ
में स्थित कृषि भूमि में वादी को भैरुजी महाराज की दिशा की तरफ हिस्सा 1/4 (0.65 हैक्ट०) का खातेदार कृषक
घोषित किया जाता है शेष 3/4 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को खातेदार घोषित किया जाता है। राजीनामा
डिक्री का हिस्सा रहेगा।

.....निज.....मुबलिग.....बाबत.....
.....खर्चा इन मुकदमें के मय सूद बशरहफीसदी सालाना आज की
तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।
सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..05.....माह.....08..... सन..2022.....को जारी की
गई।

दस्तखत

मुहर	ओहदा				
मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मेजान			मीजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

31
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (कृष्णा)